रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072023-246968
CG-DL-E-03072023-246968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2706] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
No. 2706] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

गृह मंत्रालय

(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

का.आ. 2829(अ).—जबकि, केंद्र सरकार, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (इसमें इसके पश्चात योजना के रूप में संदर्भित) का संचालन कर रही है, जिसके तहत पात्र केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी या पात्र पारिवारिक पेंशनभोगी [इसमें इसके पश्चात पेंशन संवितरण एजेंसी (इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित) के माध्यम से व्यक्ति के रूप में संदर्भित] को लाभ प्रदान किया जाता है।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने की शर्त के रूप में, जिसके लिए व्यय किया जाता है, या जिसकी प्राप्ति, भारत की संचित निधि, या राज्य की संचित निधि, से होती है, यह आवश्यक समझती है कि ऐसे व्यक्ति का प्रमाणीकरण हो या वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे या यदि व्यक्ति को कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो वह व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करे।

और जबकि, यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को सब्सिडी, लाभ या सेवा के संवितरण के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों को उपलब्ध कराया जाएगा।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्र सरकार सब्सिडी, लाभ या सेवा के संवितरण के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. (1) जहां कोई व्यक्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा या आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरेगा;

(2) जहां कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है, वह आधार के नामांकन के लिए आवेदन करेगा;

(3) लाभ ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार जारी किए जाने हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट: www.uidai.gov.in में विनिर्दिष्ट किसी आधार नामांकन केंद्र पर जाएगा।

(4) जहां व्यक्ति को कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, वहां योजना के तहत लाभ ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा, बशर्ते कि उसकी पहचान स्थापित करने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए:-

(क) केंद्र सरकार द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ):

और

(ख) नामांकन के मामले में, उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची;

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

i. फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
ii. मतदाता पहचान पत्र; या
iii. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
iv. राशन कार्ड; या
v. पासपोर्ट; या
vi. किसान फोटो पासबुक; या
vii. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
viii. राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र;

(5) उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

2. केंद्र सरकार अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभार्थी को योजना के तहत सुविधाजनक और निर्बाध लाभ प्रदान करने के लिए उसे इसकी आवश्यकता से अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी।

3. जहां लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक प्रणाली अपनाई जाएगी:-

(1) फिंगर-प्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा और केंद्र सरकार अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सहज तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए फिंगर-प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण की सुविधा की व्यवस्था करेगी:

(2) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से असफल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के मामले में, सीमित समय वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था की जाएगी:

(3) जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां योजना के तहत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और क्यूआर कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था भी केंद्र सरकार द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

(4) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्र सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डी- 26011/04/2017-डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने उचित लाभ से वंचित न रहे।

(5) यह अधिसूचना उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगी जो उक्त अधिनियम के तहत निवासी नहीं है।

(6) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 55/33/2016-एफएफ (पी)]

अनंत किशोर सरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Freedom Fighters and Rehabilitation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2829(E).—Whereas, the Central Government is administering the Swatantrata Sainik Samman Yojana (*hereinafter referred to as the Yojana*) under which benefit is given to the eligible Central Freedom Fighter or eligible family pensioner (hereinafter referred to as the individual through the Pension Disbursement Agency (*hereinafter referred to as the implementing Agency*).

And whereas, the Central Government or the State Government as the case may be for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred from, or the receipt therefrom forms part of, the Consolidated Fund of India, or the Consolidated Fund of State require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment.

And Whereas, if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.

Now, therefore , in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Others Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016(18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the alternative and viable means of identification for delivery of subsidy, benefit or service namely :-

1. (1) Where an individual desirous of receiving the benefits under the Yojana he/she shall furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(2) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar,shall make application for Aadhar enrolment ;

(3) The benefit shall be given to such individual who is entitled to be issuedAadhaar as per Section 3 of the said Act and such individual shall visit anyAadhaar enrolment centre as specified in Unique identification Authority of India (UIDAI) website: www.uidai.gov.in to get enrolled for Aadhaar.

(4) Where no Aadhar number has been assigned to the individual the benefitunder the Yojana shall be given to such individual subject to the production of the documents establishing his dentity as mention below namely :-

(a) Pension Payment Order (PPO) issued by the Central Government :

and

(b) In case of his/her enrolment, his/her Aadhaar Enrolment ID slip;

(c) Any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Voter ID Card; or

(iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iv) Ration Card; or

(v) Passport; or

(vi) Kisan Photo Passbook; or

(vii) Driving license issued under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on official letter head;

(5) The documents referred to sub- para(4) shall be verified by an officer designated by the Central Government in this behalf.

2. The Central Government through its Implementing Agency shall make the required arrangements to ensure the wide publicity to be given to the beneficiary to make him/her aware of the requirement in order to provide convenient and hassle free benefit to the beneficiary under the Yojana.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiary or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted namely:-;

(1) in case of poor finger-print quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Central Government through its implementing Agency shall make arrangement for iris scanners or faceauthentication along with finger-print authentication for delivery of benefit in seamless manner:

(2) In case of unsuccessful biometric authentication through fingerprint or iris scan or face authentication, the authentication by Aadhaar One Time password or Time- based One-Time Password with limited time validity shall be offered:

(3) Where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefit under the Yojana may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity shall be verified through the Quick Response(QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall also be provided at the convenient locations by the Central Government through its implementing Agency.

(4) Subject to the provisions of the said Act. The Central Government shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office memorandum No. D- 26011/04/2017-DBT, issued by the cabinet secretariat vide dated, the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in. in order to ensure that no bona fide beneficiary under the yojana is deprived of his due benefit.

(5) This notification shall not be applicable for an individual who is not a resident under the said Act.

(6) This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 55/33/2016-FF(P)]

ANANT KISHORE SARAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.